लोकसेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान हमला करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

ब्यूरो रिपोर्ट राम कृष्ण वर्मा। लोकसेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान हमला करने पर थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 90/2024 धारा 352, 351(3), 324(3), 132 बीएनएस व 2/3 सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश कुमार शुक्ला पुत्र शोभाराम शुक्ला निवासी मिश्रीपुरवा दा0 महदेइया थाना नवीन मॉर्डन पुलिस थाना श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार किया गया। **घटना का विवरण-** दिनांक 1.7.2024 को रात्रि के करीब 9.30 बजे ग्राम मिश्रीपुरवा दाखिला महेदईया में विपक्षी अभियुक्त रमेश कुमार शुक्ला द्वारा अपने माँ तथा अपने भाई को मार पीट कर घायल कर दिया गया था। जिनको त्वरित इलाज हेतु पहुंची एम्बुलेन्स के पायलट आनन्द तिवारी व ई0एम0टी0 निर्मला कुमार के घायलो को एम्बुलेन्स में बैठाने पर विपक्षी अभियुक्त रमेश कुमार शुक्ला द्वारा एम्बुलेन्स के पायलट व ई0एम0टी को गाली गुप्ता दिया गया व हथौड़े से एम्बुलेन्स के बन्द शीशे पर मार कर शीशा तोड दिया गया व जान से मारने की धमकी देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया गया। जिसके सम्बन्ध में पायलट व ई0एम0टी के तहरीरी सूचना पर थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पर मुकदमा अपराध संख्या 0090/2024 धारा 352, 351(3), 324(3), 132 बीएनएस व 2/3 सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए विपक्षी अभियुक्त रमेश कुमार शुक्ला को दिनांक 3.7.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की गयी।